

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 1982/श्रावण 25, 1904
No. 146] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 1982/SRAVANA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a ~~separate~~
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नियति व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 33-ईटोसी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

विषय :—समूची उत्पाद-बी-डि-मेयर की नियति नीति ।

मिसिल सं. 1/19/82-ई.-1 —उपयुक्त विषय पर नियति (नियंत्रण) सशोधन
आवेश सं. ई(सी)ओ, 1377/एएम (248) दिनांक 16 अगस्त, 1982 की ओर ध्यान
दिलाया जाता है ।

यह निश्चय किया गया है कि 3 इंच से कम साइज के बीच-डि-मेयर का निर्यात तत्काल से निषेध कर दिया जाए। तदनुसार, 1982-83 की आयात-निर्यात नीति के जिल्द-2 में निहित नीति विवरण की पृष्ठ सं. 12 पर की क्रम सं. 7(1)9 के सामने बर्साई गई वर्तमान प्रविष्टि अर्थात् "बीच-डि-मेयर" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“3 इंच और इससे अधिक साइज के बीच-डि-मेयर।”

3. उपर्युक्त मद के निर्यात के सम्बन्ध में निषेध से पूर्व तय किए गए सौदों पर सम्बद्ध पतन लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा 1982-83 के लिए आयात-निर्यात क्रिया-विधि पुस्तक की कड़िका 226 में निहित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 33-ETC (PN)/82

New Delhi, the 16th August, 1982

Sub : Export policy of marine products—Beche-de-mere.

File No. 1/19/82-EI.—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(248) dated the 16th August, 1982 on the above subject.

2. It has been decided to ban, with immediate effect, export of Beche-de-mer of sizes below 3 inches. Accordingly, the existing entry at S. No. 7(i) 9, page 12, namely, “Beach-de-mere” in the Policy Statement contained in Volume II of Import and Export Policy, 1982-83, shall be substituted by the following :—

“Beche-de-mer of sizes 3 inches and above”

3. Pre-ban commitments in respect of export of the above item shall be considered by the concerned port licensing authorities in terms of the provisions of Para 226 of the Hand Book of Import and Export Procedures, 1982-83.

MANI NARAYANA SWAMI, Chief Controller of
Imports & Exports